


Land Document

J 7564/2022

INDIA NON JUDICIAL


Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP31325260309611U  
 Certificate Issued Date : 01-Jul-2022 11:51 AM  
 Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14354704/ RAEBARELI SADAR/UP-RAB  
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1435470454339404259960U  
 Purchased by : CH D D S SANSTHAN THRU PRABANDHAK U S CHAUDHARY  
 Description of Document : Article 35 Lease  
 Property Description : PROPERTY SITUATED AT MUBARAKPUR PARGANA TEHSIL AND DISTRICT-RAEBARELI  
 Consideration Price (Rs.) :  
 First Party : SMT SUSHILA DEVI W O CHHEDI LAL  
 Second Party : CH D D S SANSTHAN THRU PRABANDHAK U S CHAUDHARY  
 Stamp Duty Paid By : CH D D S SANSTHAN THRU PRABANDHAK U S CHAUDHARY  
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,880

IN-UP31325260309611U  
 : 01-Jul-2022 11:51 AM  
 : NEWIMPACC (SV)/ up14354704/ RAEBARELI SADAR/UP-RAB  
 : SUBIN-UPUP1435470454339404259960U  
 : CH D D S SANSTHAN THRU PRABANDHAK U S CHAUDHARY  
 : Article 35 Lease  
 : PROPERTY SITUATED AT MUBARAKPUR PARGANA TEHSIL AND DISTRICT-RAEBARELI  
 : SMT SUSHILA DEVI W O CHHEDI LAL  
 : CH D D S SANSTHAN THRU PRABANDHAK U S CHAUDHARY  
 : CH D D S SANSTHAN THRU PRABANDHAK U S CHAUDHARY  
 : 2,880  
 : (Two Thousand Eight Hundred And Eighty only)



Handwritten signature in Hindi

Handwritten signature and fingerprint

Please write or type below this line


LOCKED

0008016364



Statutory Form

Statutory Form (The Stamp Control Act, 1963)



## पट्टा विलेख/लीज डीड

प्रतिमाह किराया	-	1000/-रु०
मालियत	-	72,000/-रु०
स्टाम्प	-	2880/-रु०

1. समय 30 वर्ष से अनधिक
2. भूमि का प्रकार निर्माणाधीन भवन अकृषक
3. मौजा मुबारकपुर परगना व तहसील व जिला रायबरेली
4. गाटा संख्या तथा क्षेत्रफल 662/0.2500हे० सम्पूर्ण व 664/0.6700हे० मे से 0.4020हे० व 665/0.1070हे० सम्पूर्ण योग तीन कितारकबा 0.7590हे० भूमि में बाउण्ड्री व कमरे बने है का लीज डीड लिखा गया है।

श्री. श. लक्ष्मी देवी



5. तीनों नम्बरान आपस में सटे है जिसकी चौहद्दी:-

- पूरब मे - ग्राम सभा डिडीली  
पश्चिम मे - रास्ता व भूमि चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान  
उत्तर मे, - खेत सर्वजीत आदि व रास्ता  
दक्षिण मे - भूमि चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान

6. प्रथम पक्ष की संख्या-1

7. द्वितीय पक्ष की संख्या-1

प्रथम पक्ष लीजकर्ता

श्रीमती सुशीला देवी पत्नी छेदीलाल निवासिनी ग्राम-पिण्डौली तहसील  
महराजगंज जिला रायबरेली

आधार नं0-XXXX XXXX 2067

मो0नं0-7054899505

व्यवसाय--गृहणी

द्वितीय पक्ष लीज ग्रहीता

चौधरी दीन दयाल शिक्षा संस्थान रतापुर शहर-रायबरेली द्वारा प्रबन्धक  
उमाशंकर चौधरी पुत्र स्व0 दीन दयाल चौधरी निवासी-रतापुर  
शहर-रायबरेली

आधार नं0-XXXX XXXX 3036

मो0नं0-8707234133

व्यवसाय--वकालत

श्री. सुशीला देवी



विदित हो कि हम प्रथम पक्ष ऊपर वर्णित भूमि निर्माण कमरो का मालिकिन व स्वामिनी हूँ। उक्त भूमि मय निर्माणको द्वितीय पक्ष को किराया पर मुबलिंग 1,000/-रु0 माहवार पर 30 वर्ष से अनधिक के लिए किराया पर दे रही हूँ। जिसमें शर्त निम्न है।

धारा-1 यह कि उक्त भूमि खण्ड को मुबलिंग 1000/-रु0 मासिक किराये पर 30 वर्ष से अनधिक के लिए पट्टा विलेख/लीज डीड पर दे रही हूँ।

धारा-2 यह कि पट्टा विलेख/लीज डीड 30 वर्ष से अनधिक पर दिया जा रहा है। 30 वर्ष अनधिक पूर्ण होने पर स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

धारा-3 यह कि आज की तारीख से उक्त पट्टा विलेख/लीज डीड शुदा भूखण्ड के देखभाल की सम्पूर्ण जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष उक्त की होगी।

धारा-4 यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा तयशुदा किराये की धनराशि प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अदा किया जायेगा।

धारा-5 यह कि उक्त भूखण्ड का मालिकाना हक प्रथम पक्ष के पास हमेशा सुरक्षित रहेगा।

नि.अ. लुशीया देवी




साक्षी नम्बर एक ने किया है।

नि.अ. लक्ष्मी देवी




दिनांक:- 01 जुलाई सन् 2022ई  
टंकणकर्ता

मनीष भारद्वाज

साक्षी नं0-01   
अंकित पटेल पुत्र छेदीलाल  
निवासी ग्राम-पिण्डौली  
तहसील महाराजगंज जिला रायबरेली  
आधार संख्या- XXXX XXXX 2343  
मो0नं0:-7905968694 पेशा- प्रा0नौकरी



साक्षी नं0-02   
राजेन्द्र बहादुर सिंह पुत्र शिव बहादुर सिंह  
निवासी देवगना किरतपुर चरुहार उर्फ  
देवगना तहसील डलमऊ जिला रायबरेली  
आधार नं0:-XXXX XXXX 1233  
मो0नं0-9839817707 पेशा-प्रा0नौकरी



लेखक का नाम-राजेन्द्र कुमार  
ता०स०-21.12.1901-2022-31-पुर्त 3  
ली गयी थीत...  
हस्ताक्षर लेखक-राजेन्द्र कुमार अ. वे.

धारा-6 यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा उक्त भूखण्ड को अपनी आवश्यकतानुसार उपयोग एवं उपभोग करने का पूर्ण अधिकार होगा इसमें प्रथम पक्ष व वारिसान प्रथम पक्ष को कुछ उज्र न होगा प्रथम पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की सदस्या नहीं है। यह पट्टा विलेख/लीज डीड दिनांक-01.07.2022ई0 से 30 वर्ष से अनधिक तक प्रभावी रहेगा।

धारा-7 यह कि उक्त भूखण्ड पाक व साफ है किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है।

हम उभय पक्ष उपरोक्त शर्तों से पूर्णतयः संतुष्ट होकर बिला किसी जोर दबाव के यह पट्टा विलेख/लीज डीड लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे। उपरोक्त पट्टा विलेख/लीज डीड में फोटो प्रमाणित

नि.शं. लुशीला देवी

